FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU   P.S. (थाना): SVB ROHTAK   Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/09/2022 11:38 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):   Date from (दिनांक से):   Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 28/09/2022   Time (समय): 10:55 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013   Date and Time (दिनांक और समय): 28/09/2022 11:14 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): In P.S. Limits   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): हैफेड कार्यालय रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): SH SUMIT KUMAR DSP

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 26/12/1984   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):   Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रा0चौ0ब्यूरो रोहतक, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रा0चौ0ब्यूरो रोहतक, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेन्द्र कुमार चौधरी प्रथम श्रेणी अधिकारी जिला प्रबन्धक हैफेड रोहतक		Father's Name: सतनारायण चौधरी	1. 93,राजकीय कर्मचारी कालोनी नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	महेन्द्र पाल गोयल हैंडलिंग एजेन्ट		Father's Name: श्री ओमप्रकाश	1. 34,गांधी मार्किट,बहादुरगढ, JHAJJAR,HARYANA,INDIA

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो रोहतक

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, अखबार मे छपी खबर सहित शिकायत प्राप्त होने पर, उक्त शिकायत की तस्दीक रिपोर्ट के आधार पर, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 65/32/2018-5 चौकसी-1 दिनांक 14.05.2019 की अनुपालना मे कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठाकन 8754/आई-5/रा.चौ.ब्यूरो (हरि.) दिनांक 28.05.2019 अनुसार जांच क्रमांक 05 दिनांक 21.05.2019 रोहतक अंकित की जाकर पड़ताल की गई। उक्त जांच मे आरोप था कि हैफेड विभाग रोहतक के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा वर्ष 2018-19 मे रोहतक, कलानौर व महम के किसानो से 1,10,934.95 क्विंटल सरसों खरीदी गई व 1,11,097.99 क्विवंटल सरसों सरकार द्वारा निर्धारित गोदामो मे जमा करवाई गई। जो खरीद से लगभग 163 क्विवंटल सरसों निर्धारित गोदामो मे ज्यादा जमा करवाई गई। हैफेड विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा किसानो से सरसों की खरीद करते समय तोल मे धोखाधडी करके किसानो को लगभग रुपये 6,52,000/- कम देकर किसानो को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उक्त जांच की पड़ताल करने उपरांत जांच अधिकारी ओमपति, उप निरिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक द्वारा अंतिम रिपोर्ट परस्तुत की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि कार्यालय हरियाणा राज्य का-आप्रेटिव सप्लाई एव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, सैक्टर-05, पंचकुला हरियाणा द्वारा यादि क्रमांक हैफेड/प्रौक्योरमेन्ट/सरसों बीज/पी.ए-II/281 दिनांक 09.03.2018 के अनुसार पत्र जारी किया गया था, जिसमे रबी फसल 2018-19 के दौरान हैफेड द्वारा सहकारी समिति, रोहतक के माध्यम से न्युनतम समर्थन मुल्य पर FAQ (Fair Average Quality) सरसो के बीजो को सीधे रुप से किसानो से खरीदकर नैफेड के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए भण्डार गृहों अर्थात हरियाणा राज्य भण्डारण निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम के भण्डार गृहों मे जमा करवाने के संबध मे वर्णन किया गया था । उक्त पत्र मे सरसो खरीद प्रक्रिया के संबध मे न्युनतम समर्थन मुल्य रुपये 4000/- (रुपये 100/-बोनस सहित) प्रति क्विवंटल निर्धारित किया गया था। उक्त सरसों खरीद प्रक्रिया से संबधित कार्य के क्रियान्वन के लिए श्री सुरेश कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला प्रबन्धक, हैफेड, रोहतक द्वारा मुख्यालय, हैफेड हरियाणा, पंचकुला से आवश्यक अनुमति लिए बिना/ पत्राचार किए बिना व टैण्डर प्रक्रिया अपनाए बिना, अपने स्तर पर, अपने पद का दुरुपयोग करके श्री महेन्द्र पाल गोयल सुपुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 34, गांधी मार्किट,बहादुरगढ को दिनांक 03.04.2018 को मात्र एक एग्रीमैन्ट के आधार पर रोहतक, कलानौर व महम मंडी मे सरसों खरीद के सम्बन्ध मे रुपये 20 प्रति क्विवटल चार्ज/कमीशन की दर से हैन्डलिंग एजेन्ट बनाया गया था। उक्त एग्रीमेन्ट अनुसार हैन्डलिंग एजेन्ट द्वारा हैफेड के मापदंडो अनुसार सरसों की उतरवाई, झराई, सफाई, तुलाई, भरवाई, सिलाई व ट्रक मे लदवाई इत्यादि कार्य करवाए जाने थे। किसानो की सरसों कांटे पर आने के उपरांत उक्त सरसों की पुर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी उक्त हैन्डलिंग एजेन्ट की थी। जबकि नैफेड तथा हैफेड के मध्य दिनांक 15.03.2018 को हुए अनुबन्ध के पहरा संख्या 44 व 45 मे स्पष्ट रुप से वर्णन किया गया था कि यदि इस संबध मे सरकारी यातायात या सरकारी एजेन्सी/एफ.सी.आई/पी.डी.एस सरकारी निर्धारित रेट उपलब्ध नही है तो इस संबध मे एस.एल.ए और नैफेड की सरकार के प्रतिनिधि की अध्यक्षता मे एक कमेटी गठित की जाएगी और गठित कमेटी इस संबध मे निर्णय लेगी की कार्य किस आधार पर आवंटित किया जायेगा। जिस पर उपरोक्त अधिकारी द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी (प्रथम श्रेणी अधिकारी), तत्कालीन जिला प्रबन्धक, हैफेड, रोहतक (जिला प्रबन्धक, हैफेड रेवाडी के पद से दिनांक 31.03.2019 को सेवानिवृत). सुपुत्र श्री सतनारायण चौधरी निवासी मकान संख्या 93, राजकीय कर्मचारी कालोनी, नारनौल द्वारा मुख्यालय, हैफेड हरियाणा, पंचकुला से आवश्यक अनुमति लिए बिना/पत्राचार किए बिना, अपने स्तर पर, अपने पद का दुरुपयोग करके श्री महेन्द्र पाल गोयल सुपुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 34, गांधी मार्किट, बहादुरगढ से मिलीभगत करके उक्त श्री महेन्द्र पाल गोयल को अनुचित आर्थिक लाभ देने के लिए उसे दिनांक 03.04.2018 को मात्र एक एग्रीमैन्ट के आधार पर रोहतक, कलानौर व महम मण्डी मे सरसों खरीद के संबध मे रुपये 20 प्रति क्विवंटल चार्ज/कमीशन की दर से हैन्डलिंग एजेन्ट बनाया जाने पर उक्त श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी व श्री महेन्द्र पाल गोयल, हैडलिंग एजेन्ट के विरुध धाराधीन 420,120बी भा.द.स व 13(1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने व इनके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका पाई जाये तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिए जाने का सुझाव दिया गया था। जिस पर इस संबध मे अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला द्वारा यादि क्रमांक 1068 दिनांक 18.01.2021 अनुसार अपनी टिप्पणी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चंडीगढ को भेजी गई थी। अब कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, चंडीगढ के पृष्ठाकन 65/32/2018-5 चौकसी-1 दिनांक 13.07.2022 की अनुपालना मे कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठाकन 11757/आई.-5/रा.चौ.ब्यूरो (हरि.) दिनांक 22.07.2022 अनुसार आरोपियो श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी (प्रथम श्रेणी अधिकारी), तत्कालीन जिला प्रबन्धक, हैफेड रोहतक (जिला प्रबन्धक, हैफेड रेवाडी के पद से दिनांक 31.03.2019 को सेवानिवृत), सुपुत्र श्री सतनारायण चौधरी निवासी मकान सख्या 93, राजकीय कर्मचारी कालोनी, नारनौल व श्री महेन्द्र पाल गोयल, हैंडलिंग एजेन्ट, सुपुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 34, गांधी मार्किट, बहादुरगढ जिला झज्जर के विरुध धाराधीन 420, 120बी भा0द0स0 व 13 (1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने के आदेश प्राप्त हो चुके है। अत: उक्त आरोपियो श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी व श्री महेन्द्र पाल के विरुध अभियोग पंजीकृत करके उच्चाधिकारियो को दुरभाष/ई.मेल के माध्यम से सुचित किए जाए व स्पेशल रिपोर्ट संबधित स्पेशल जज को भिजवाई जाए। अभियोग के अनुसंधान के दौरान अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाए तो उसे भी देख लिया जाए। हस्ता अंग्रेजी SUMIT सुमित कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक अज थाना:-हस्ब आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0न0 21 दिनांक 28/09/2022 जुर्म जेर धारा 420,120बी भा0द0स0 व 13 (1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात/फाईले पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह रा0चौ0ब्यूरो रोहतक के हवाले कि जाएगी व EHC सतेन्द्र सिंह न0 1884/रोहतक के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफरार थाना के कोड से निरीक्षक राकेश कुमार रा0चौ0ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 मे उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MAHENDER SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 38SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rakesh Kumar

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): P/SI

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):